

A 61

Subject Fw: Sudarshan Park Colony (F-Zone Application)
From Minister of Urban Development <minister-mud@nic.in>
Date Monday, November 14, 2011 12:47
To jamal.kb@nic.in

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4000
Date ...18/11/11

From: Sudarshan Park
Sent: Monday, November 14, 2011 11:37 AM
To: minister-mud@nic.in
Cc: vcdda@dda.org.in ; commissioner@mcd.org.in
Subject: Sudarshan Park Colony (F-Zone Application)

RESPECTED SIR!

Please find 3 attached files in MS Word Format, JPEG Format & PDF Format respectively.
That file has containing application for Transferring our Colony Sudarshan Park "O Zone to F Zone".

Hoping for positive response from your side.

(Ziyauddin Ansari)
Gen. Secretary
"SUDARSHAN PARK"
Meethapur Extn., Badarpur
New Delhi - 110044
Mobile: 09350266480

[Handwritten Signature]
17/11
PS to UDM
Sec (UD)

Secretary UD

SUDARSHAN PARK WELFARE ASSOCIATION

Regd. No. S-23932

MOLARBAND SCHOOL ROAD, MEETHAPUR EXTN., BADARPUR, NEW DELHI - 110044
Email ID:- sudarshan.park@gmail.com

Ref. No.

Dated 14th Nov 2011

सेवा में,

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय:- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कॉलोनी को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डालने हेतु निवेदन।


महोदय!

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी कॉलोनी "सुदर्शन पार्क", मीठापुर विस्तार, बदरपुर दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची में 327 नम्बर पर सूचीबद्ध है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कॉलोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। जोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बेल्ट या यमुना नदी की धारा से दोनों ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुरूप है।

हमारी कॉलोनी "सुदर्शन पार्क" (327), मीठापुर विस्तार, बदरपुर यमुना नदी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नहीं बैठे हैं। हमारी कॉलोनी के बाद कुछ और कॉलोनियाँ हैं व उसके बाद के गांव बसन्तपुर, ईस्माईलपुर, अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कॉलोनियाँ भी आती हैं व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के वरावर में एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कॉलोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

भवदीय,



(जिमाउद्दीन अन्तारी)

सचिव

बी-52, सुदर्शन पार्क, मीठापुर विस्तार,
बदरपुर, नई दिल्ली-110044
मोबाईल: 9350266480

प्रतिलिपी:-

- (1) माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
- (2) माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
- (3) माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
- (4) माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
- (5) माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
- (6) श्री रमेश कुमार, माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली
- (7) चौधरी रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक बदरपुर विधानसभा क्षेत्र